मण्डल/विद्युत कंपनी द्वारा वर्ष 2008–09 में की गई कर्मचारी कल्याणकारी गतिविधियॉ

क्षतिपूर्ति भुगतान

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कम्पनियों द्वारा कार्य दुर्घटना होने पर कर्मचारी को छतिपूर्ति राशि भुगतान के साथ ही उनके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान है। इसी तारतम्य में कार्य दुर्घटना होने के फलस्वरूप विकलांगता आधार पर सेवानिवृत्ति पश्चात क्षेत्रीय चयन समिति/केन्द्रीय चयन समिति द्वारा परीक्षण कराकर कर्मचारी को पुनः नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान भी रखा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में अप्रेल 2008 से दिसंबर 2008 तक 15 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को रूपये 50,93,597/– तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कम्पनियों में दिनांक 01.01.2009 से 30.03.2009 तक 4 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को रूपये 10,98,160/– की छतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में अप्रेल 2008 से दिसंबर 2008 तक अघातक दुर्घटना में दो कर्मचारियों को विकलांगता आधार पर क्षतिपूर्ति की राशि रूपये 5,61,710/– का भुगतान किया गया।

...